नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 30/06/2025 को पेश हो।	
30/6/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमिया प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता राधाकिशन के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। जिनमें हमारा 1/7–1/7 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के पिता राधाकिशन की मृत्यु हो चुकी है। राधाकिशन की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिस रिकॉर्ड पर है। राधाकिशन का स्वर्गवास हो जाने से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का उनके हिस्से की भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा हो गया है। विवादित भूमि का भी अभी बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकार अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। विवादित भूमि का बंटवारा नहीं होने से अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों पर कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है व प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करते रहते है। अप्रार्थीगण को दौराने वाद चरण संख्या 2 में अंकित भूमि पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने, बेदखल नहीं करने की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों में खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि हिस्से अनुसार उक्त भूमियों पर खातेदारान का कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण 2 लगायत 5 द्वारा अपने हिस्से की भूमियों को प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में हक त्याग कर दिया है। तब से ही प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 1/2–1/2 हिस्सेनुसार काश्त कर रहे है। सह खातेदार के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने खारिज किया जावे। हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 181 के खसरा सख्या 594, 597, 603, 604, 605, 606, 710, 711, 712, 714 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3552 हैक्टेयर वाके ग्राम नेत प0म0 नेत में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य की सह खातेदारी भूमि है।	
	प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–	
1.	प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 181 के खसरा सख्या 594, 597, 603, 604, 605, 606, 710, 711, 712, 714 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3552 हैक्टेयर वाके ग्राम नेत प0म0 नेत में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित भूमियां सह खातेदारी की भूमियां होने से किसी सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग, रहन बेचान से रोका जाना उचित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बन रहा है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 181 के खसरा सख्या 594, 597, 603, 604, 605, 606, 710, 711, 712, 714 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3552 हैक्टेयर वाके ग्राम नेत प0म0 नेत में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल करने बाबत दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। विवादित भूमियां सह खातेदारी की भूमियां होने से किसी सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग, रहन बेचान से रोका जाना उचित नहीं है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

नम्बर व तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है। 3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 181 के खसरा सख्या 594, 597, 603, 604, 605, 606, 710, 711, 712, 714 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3552 हैक्टेयर वाके ग्राम नेत प0म0 नेत में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य की सह खातेदारी भूमि है। सहखातेदारी की भूमियों में प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह खातेदार का बराबर हक व अधिकार निहित होता है। विवादित भूमियां सह खातेदारी की भूमियां होने से किसी सह खातेदार द्वारा उसके हिस्से की भूमि काश्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बन रही है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	